

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक: / / 2026

विषय : डा० नेहा फातिमा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक 30.03.2022 से 06.02.2023 तक के अवधि विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, विभागीय अधिसूचना संख्या-1017(2), दिनांक 11.09.2020 द्वारा डा० नेहा फातिमा को सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मदहद, सदर प्रखंड, बक्सर में पदस्थापित किया गया। उक्त विभागीय अधिसूचना के आलोक में डा० फातिमा द्वारा दिनांक 15.09.2020 को उक्त संस्थान में योगदान कर प्रभार ग्रहण किया गया। नियुक्ति के समय डा० फातिमा उच्च अध्ययन प्राप्त कर रही थी, इसलिए दिनांक 15.09.2020 के अपराहन में प्रभार त्याग कर अध्ययन पूर्ण करने हेतु विरमित हो गयी। डा० फातिमा द्वारा दिनांक 29.03.2022 को अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना के ज्ञापांक-5340, दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। तत्पश्चात डा० फातिमा द्वारा दिनांक 28.09.2022 को विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या-108(17), दिनांक 31.01.2023 द्वारा डा० फातिमा का पदस्थापन रेफरल अस्पताल, बिहटा में पदस्थापित किया गया। उक्त विभागीय आदेश के आलोक में डा० फातिमा द्वारा उक्त संस्थान में दिनांक 07.02.2023 को प्रभार ग्रहण किया गया। इस प्रकार डा० फातिमा का दिनांक 16.09.2020 से 06.02.2023 तक की अवधि अविनियमित थी। जिसमें से वित्त विभाग के पत्रांक-2731, दिनांक 11.03.2025 के आलोक में डा० फातिमा के दिनांक 16.09.2020 से 29.03.2022 तक के अध्ययन अवधि को विभागीय आदेश संख्या-1852(2), दिनांक 03.08.2026 द्वारा असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया है। इस तरह डा० फातिमा का दिनांक 30.03.2022 से 06.02.2023 तक की अवधि अविनियमित है। डा० फातिमा द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में दिनांक 28.09.2022 से 31.01.2023 तक में दिनांक 08.11.2022 से 10.11.2022 तक की अवधि को छोड़कर शेष अवधि में उपरिथित दर्ज किया गया है।

2. उक्त वर्णित आलोक में डा० नेहा फातिमा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना दिनांक 30.03.2022 से 06.02.2023 तक की अविनियमित अवधि को निम्नरूप में विनियमित किया जा सकता है:-

i	दिनांक 30.03.2022 से 27.09.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
ii	दिनांक 28.09.2022 से 07.11.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
iii	दिनांक 08.11.2022 से 10.11.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)
iv	दिनांक 11.11.2022 से 31.01.2023 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा के रूप में। (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में)
v	दिनांक 01.02.2023 से 06.02.2023 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236)

3. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

आयक-2/आर-100/2025-

2216(2)

पटना, दिनांक: 15/9 /2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना /कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० नेहा फातिमा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9ए, 9बी, 17 एव 18ए को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mhm, K 14/9/26
सरकार के उप सचिव
24/